

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

एनआरएचएम वित्त प्रभाग

वित्त नियंत्रक / परामर्शदाता (वित्त) के पद के लिए विचारार्थ विषय

प्रभाग का नाम	एनएचएम वित्त प्रभाग
नियंत्रण अधिकारी	निदेशक (एनएचएम-वित्त)
पद का नाम	वित्त नियंत्रक
पदों की संख्या	तीन
तैनाती का स्थान	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली पूर्णतः संविदा आधार पर उपर्युक्त पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

**1. पृष्ठभूमि**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगपूर्ण जन-स्वास्थ्य प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक व्यापक कार्यक्रम है। एनएचएम के तहत वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन और उनकी निगरानी में सहयोग के तकनीकी सहायता के रूप में पूर्णतया संविदा आधार पर कर्मियों की आवश्यकता है।

**2. उद्देश्य**

केंद्रीय स्तर पर वित्त नियंत्रक एनएचएम के तहत आरसीएच फ्लेक्सिपूल, एचएसएस, एनसीडी, एनयूएचएम तथा एनडीसीपी सहित निधियों के प्रबंधन की निगरानी और निधियों के निर्माण, व्यय, एफएमआर, एसएफपी, अव्ययित शेष, सांविधिक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा, ई-बैंकिंग, उपयोग प्रमाण-पत्रों, क्षेत्र समीक्षा दौरे और उन पर राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई सहित समग्र वित्तीय प्रबंधन की निगरानी करेगा।

**3. कार्य का विस्तार**

**मुख्य जिम्मेदारियां:**

- (i) आबंटित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एक वित्तीय विश्लेषक और तीन वित्त सहायकों के दल का पर्यवेक्षण, निगरानी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन।
- (ii) राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निधियों के अंतरण के लिए ई-बैंकिंग व्यवस्था का कार्यान्वयन और आवश्यकतानुसार तैयार किए गए टैली का कार्यान्वयन।
- (iii) विकास के भागीदारों के साथ समन्वय, उचित व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावे तैयार करके उन्हें प्रस्तुत करना।
- (iv) ई-बैंकिंग डाटा की मदद से वित्तीय एमआईएस और समानांतर कार्यक्रम प्रबंधन स्थिति तैयार करना और राज्यों की कागजी रिपोर्टों से उनका मिलान करना।
- (v) वित्तीय जानकारी को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए मंत्रालय के एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करना।
- (vi) निधियों के आबंटन, निर्माण एवं उपयोग आदि के संकलन के लिए रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ समन्वय।
- (vii) राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एनडीसीपी, निगरानी, समीक्षा, विश्लेषण, लेखा-परीक्षा तथा भारत सरकार की टिप्पणियों का अनुपालन सहित सांविधिक लेखा-परीक्षा की व्यवस्था और विकास के भागीदारों को समय पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- (viii) सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में समवर्ती लेखा-परीक्षाओं की नियुक्ति, मासिक रिपोर्टों की प्राप्ति और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई सहित समवर्ती लेखा परीक्षा की निगरानी और कार्यान्वयन।

- (ix) राज्यों में राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर वित्त एवं लेखा कर्मचारियों का समय-समय पर क्षमता निर्माण, एनआईएचएफडब्ल्यू तथा समग्र एनआरएचएम के लिए एक सामान्य वित्त एवं लेखा मैनुअल तैयार करना।

#### अन्य जिम्मेदारियां:

- (i) एनआरएचएम के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निधि जारी करने हेतु निर्माण, व्यय एवं अव्ययित शेष की निगरानी करना।
- (ii) एफएमआर, निधियों की स्थिति के विवरण की समय पर प्राप्ति तथा उनके विश्लेषण की निगरानी करना, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एनआरएचएम कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का मिलान करना।
- (iii) आर्बिट्रिट राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए समस्त वित्त, लेखा एवं लेखा परीक्षा संबंधी मामलों में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना और उनके बारे में फीडबैक देना।
- (iv) समय-समय पर संसदीय प्रश्नों/समितियों, आरटीआई, वीआईपी संदर्भों, सीएजी एवं डीजीएसीई की लेखा परीक्षाओं आदि के लिए जानकारी/डाटा उपलब्ध कराकर सहयोग देना।
- (v) राज्य/जिला/ब्लॉक स्तरों पर एनएचएम के तहत वित्तीय निष्पादन संकेतकों, ई-मोडिंग तथा वित्तीय एवं लेखाकरण संबंधी प्रक्रियाओं में समन्वय की निगरानी करना।
- (vi) वित्तीय प्रबंधन निष्पादन समीक्षा और वित्तीय अध्ययनों के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में संयुक्त दल के दौरों की व्यवस्था करना और सुधार लाने के लिए सिफारिशों के साथ स्थिति रिपोर्ट तैयार करना। जेआरएम, सीआरएम में भाग लेना और उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित करना।
- (vii) एनएचएम के तहत निधियां जारी करने हेतु केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) का कार्यान्वयन।
- (viii) आर्बिट्रिट राज्यों की वार्षिक पीआईपी का मूल्यांकन, नोडल अधिकारियों को टिप्पणियों का प्रारूप/अंतिम टिप्पणियां उपलब्ध कराना और एनपीसीसी के विचार-विमर्श में भाग लेना।

#### 4. आउटपुट

सभी कार्यों एवं जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना और प्रत्येक तिमाही के अंत में की गई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट निदेशक (एनएचएम-वित्त) को प्रस्तुत करना।

#### 5. अर्हताएं एवं अनुभव

किसी प्रसिद्ध एवं मान्यता प्राप्त संस्था से अधिमानतः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में डिग्री के साथ एमबीएस (वित्त)/सीए।

कम से कम 6 वर्ष से अधिक का अनुभव, जिसमें सामाजिक क्षेत्र में 3-4 वर्ष के अनुभव को वरीयता दी जाएगी। किसी सरकारी संस्थान में वित्तीय प्रबंधन प्रचालन, अनुसंधान, प्रणाली विश्लेषण, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सरकारी लेखाकरण, निधि प्रवाह प्रबंधन, उपयोग प्रमाण-पत्र तथा योजना-वार व्यय की रिपोर्टिंग की जानकारी और लेखाकरण पैकेज तैयार करना अतिरिक्त अर्हता होगी। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की जानकारी तथा टैली लेखाकरण पैकेज, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर प्वाइंट की जानकारी वांछनीय अर्हता होगी।

- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एनएचएम में कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।
- उपयुक्त उम्मीदवारों के लिए औपचारिक शैक्षिक योग्यता और अनुभव में ढील दी जा सकती है।

#### वित्त नियंत्रक (लेखा परीक्षा) के लिए अतिरिक्त अपेक्षा:

सामाजिक क्षेत्र में किसी पर्यवेक्षणीय स्तर पर लेखा परीक्षा में यथेष्ट अनुभव अनिवार्य होगा। राज्य और जिला स्तरों पर वरीयता के आधार पर सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं से संबद्ध गैर-सरकारी संगठनों, समितियों की लेखा परीक्षा को अनुभव में शामिल किया जाना चाहिए।

## 6. यात्रा एवं भत्ता

परामर्शदाता को राज्य/जिले/ब्लॉक/ग्राम स्तरों पर विस्तृत रूप से यात्रा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। सभी यात्रा को निदेशक (एनएचएम-वित्त) द्वारा अग्रिम रूप से प्राधिकृत किया जाना आवश्यक है। यात्रा के समय परामर्शदाता को विकास के भागदार अथवा उसके टीएमएसए अथवा भारत सरकार के नियमानुसार खान-पान/आवास पर व्यय के लिए निर्धारित दैनिक भत्ता देय होगा।

## 7. रिपोर्टिंग की अपेक्षाएं

परामर्शदाता प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक (एनआरएचएम-वित्त) को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

## 8. परामर्श सेवा की अवधि

आरंभ में यह अवधि एक वर्ष की होगी। प्रथम तीन माह में निष्पादन का परीक्षण किया जाएगा। संतोषप्रद निष्पादन रहने पर परामर्श सेवा को पूरे एक वर्ष के लिए जारी रखा जाएगा। संतोषजनक ढंग से कार्य-निष्पादन करने पर संविदा को केवल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के स्वविवेक से आगे के लिए नवीकृत किया जाएगा। फिर भी, परामर्श सेवा को दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा लिखित रूप में एक माह की नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

## 9. पारिश्रमिक

परामर्शदाता को 90,000 से 1,30,000/- रु. के बीच प्रति माह समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

परामर्शदाता को परामर्श सेवा करार में स्पष्ट रूप से उल्लिखित लोगों को छोड़कर सबसिडी, मुआवजा या पेंशन जैसे कोई अन्य लाभ प्राप्त करने की हकदारी नहीं होगी। परामर्शदाता को कर भुगतान से छूट नहीं दी जाएगी और उसे प्राप्त पारिश्रमिक पर मौजूदा नियमों के अनुसार लगाए गए करों का भुगतान करना होगा।

**नोट:** अपने जीवन-वृत्त (रिज्यूमे) में आयु, डिग्रियां प्राप्त करने के वर्ष, वर्तमान और पूर्व नियुक्तियों की तिथियों का उल्लेख करना अनिवार्य है, इनके बिना इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आवेदन, ई-मेल द्वारा [finance.controller@nhsrcindia.org](mailto:finance.controller@nhsrcindia.org) पते पर या डाक/दस्ती रूप से मानव संसाधन प्रबंधक, एनएचएसआरसी, एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली- 110 067 पर दिनांक **20-May-2016** को अपराह्न 4 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। डाक द्वारा भेजे गए आवेदनों के मामले में लिफाफे के ऊपर और ई-मेल द्वारा भेजे गए आवेदनों के मामले में विषय लाइन पर आवेदन किए गए पद का नाम अवश्य लिखें, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।